



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2011/भाद्र 25, 1933

No. 511]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2011/BHADRA 25, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2011

New Delhi, the 14th September, 2011

सा.का.नि. 684(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

G.S.R. 684(E).—In exercise of the powers conferred by Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011.

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (3) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

2. In the said notification, for serial No. (3) and entries thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(3) श्री मनोज कुमार —सदस्य”
संयुक्त सचिव,
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय,
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. आर. पी. रोड,
नई दिल्ली-110001”।

“(3) Shri Manoj Kumar, —Member”
Joint Secretary,
Ministry of Corporate Affairs,
'A' Wing, Shastri Bhawan,
Dr. R. P. Road,
New Delhi-110001.

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

3. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[फा. सं. 1/15/2010-पीआई]

[F. No. 1/15/2010-PI]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

